



## क्षेत्रीय कार्यालय REGIONAL OFFICE कर्मचारी राज्य बीमा निगम

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

HEU/NO. 1/RO/SHITLEY/ 2006-07	संख्या/No.]]	Rosunvey	2006-07
-------------------------------	--------------	----------	---------

तारीख/Dated: 08 05 07

सेवा	में/To,			
	मैसर्स/M/s SRT IMMOUISION	SERVICES	(P) IT	0
**	334 Princes Park, Secto	1-6,		

Duantes, New Delling

थिषयः कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का कार्यान्वयन और (यथा-संशोधित अधिनियम की धारा 2(12)/1(5) के अधीन कारखानों तथा स्थापनाओं के कर्मचारियों का पंजीकरण।

Subject: implementation of the E.S.I. Act, 1948 and Registration of Employees of the Factories and Establishments under Section 2(12)/1(5) of the Act as amended.

महोदय/Dear Sir/s.

rear	511/5.
	आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना
	्रसंख्या करने हेतु अधिनियम के उपबंध बनाए हैं। क्षेत्र में सभी कारखानों/स्थापनाओं को अधिनियम के अधीन व्याप्त करने हेतु अधिनियम के उपबंध बनाए हैं।
	क्षेत्र में सभी कारखानीं/स्थापनाओं को आधानयम के अधान व्याप करने हुए of the Central Government has vide notification.  It is informed that under section 1(3) of the E.S.I. Act. 1948 the Central Government has vide notification made the provisions of the Act applicable to all
	$\frac{11}{1000000000000000000000000000000000$
	feetadaglastablishments covered under the Act Within the (Alba)
2.	यह भी सूचित किया जाता है कि समुचित सरकार ने अधिनियम की धारा 1(5) के अधीन अधिसूचना संख्या
	ताराख
	से उन्त्य स्थापनाओं पर अधिनियम के उपबंधों/धाराओं का विस्तार कर दिया है।
	से उन्य स्थापनाओं पर आधानयम के उपबाद परिका पता पता पता पता पता पता पता पता पता पत
	It is further informed that the appropriate Government has extended the provided in the provided that the appropriate Government has extended the provided in the provided that the appropriate Government has extended the provided that the provided that the appropriate Government has extended the provided that the appropriate Government has extended the provided that the provided that the appropriate Government has extended the provided that the provided that the appropriate Government has extended the provided that the provided
	datad (
3.	अधिनियम की धारा 2क के अधीन ऐसे कारखाने/स्थापना को अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराना अनिवार्य है तथा अध्यान 4 के अभीन अन्तर्गत प्रधान नियोजक की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत कराएं तथा अधिनियम के अधीन
	The state of the s
	to the Market Ventablishment is required to register used under the rot and
	thereof casts a responsibility on te principal employer thereof to insule his employees and pay
	of these employees covered under the Act.
	आपके द्वारा भेजें गए आपके कारखाने/स्थापना के विवरण के अनुसार तारीख
4.	. जारावाच्या च्या विमायण महाचा विश्वास विभाग । विश्वास के जारावाच्या विभाग ।
	तारी-ख
	०० ० ज्या व्यापका जामहार होगा
	to top the state of your factor/lestabilishment submitted by you, the top to
	description office Manager who inspected your restory.
	tocton/establishment tells within the pulvion of cooling
	in case however subsequent facts reveal that your factory/establishment was
	with effect from 6 110 9 2007. In case nowords above, you shall make yourself liable to comply with the provision coverable from a date prior to the date mentioned above, you shall make yourself liable to comply with the provision
	of the Act from such earlier date.
	ा तक महाराज्य विकास के कर्मनारियों के घोषणा-पत्र
5.	आपसे अनुरोध है कि आप अधिनियम के अधीन व्याप्ति की तारीख से आप अपने कारखाने/स्थापना के कर्मचारियों के घोषणा-पत्र भरने तथा उनके पंजीकरण और अंशदान की अदायगी व रिकार्ड के अनुरक्षण संघीन कार्रवाई तुरन्त करें तथा रिकार्ड आदि का अनुरक्षण

It is requested to take immediate steps for registration of your employees by submitting Declaration forms, payment of

साथ पत्राचार करते समय प्रयोग किया जाए तथा उक्त संख्यो सभी फार्मों में यथास्थान दर्शायी जाए। में स्थित निगम के शाखा कार्यालय को अनुदेश भेज दिए गए हैं कि वे आपके कर्मचारियों के पंजीकरण से संबंधित प्रक्रिया में आपकी हर संभव महायता करें। कोई कठिनाई होने पर अथवा योजनी में संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए आप उपरिलिखित शाखा कार्यालय

प्रवन्धक में संपर्क करें जो आपकी इस संबंध में हुर कि आहायता करेंगे। For the sake of convenience you establishment has been allotted code No.1-10-100217 which may kindly be used in all communication sent to this office and on all forms at the placed indicated for the purpose. The Branch Office of the Corporation situated at Tolam has been instructed to render necessary assistance to you in connection with registration of your employees. In case you find any difficulty or for any other purpose which may be necessary in connection with the Scheme you are requested to contact the Manager of

the above Branch Office who will render necessary help in the matter.

अनुरोध है कि बोमा चिकित्सा व्यवसायियों/राज्य बीमा औषधालयों की सूचियों का अपने कारखानों/स्थापना में भरसक प्रचार करें ताकि आपके कर्मचारी अपने राज्य वीमा औषधालयों/बीमा चिकित्सा व्यवसायियों का चयन कर सकें। अपेक्षित फार्म आदि उपरिलिखित शाखा कार्यालय से प्राप्त करें जिसके साथ आपके सभी कर्मचारी भी सम्बद्ध होंगे।

It is requested that publicity may kindly be given to list of insurance medical practitioners, State Insurance Dispensaries to enable your employees to choose their State Insurance Dispensaries/Insurance Medical Practitioner. Required forms etc., may please be collected from the Branch Office mentioned above to which all your employees will also be attached.

निगम के कर्मचारी, राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन अप्पको अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव एवं आवश्यक सहायता नहर्ष प्रदान केरेंगे। मुझे विश्वास है कि आप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम तथा विनियम के उपबंधों का समय से अनुपालन 8

The Corporation Officials would be pleased to give all necessary and possible guidance to you in discharging your duties and obligations under the ESI Act, 1948, and I am confident of prompt and early compliance under the povisions of the ESI Act Regulation on your part.

कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत बैंक शाखाओं की एक सूची संलंग्न हैं। आप अपनी सुविधानुसार इन शाखाओं में से कोई एक शाखा चुनने की कृपा करें और इसकी सूचना इस कार्यालय को तथा भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा को भेज दें तथा केवल उक्त शाखा में कर्मचारी राज्य बीमा राशि जमा करायें। यदि इस पत्र की प्रोप्ति के 15 दिन के अन्दर आपसे कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिस अधिकृत शाखा विशेष में अपने अंशदान की राशि जमा कराई होगी उसे आपके कारखाने/ स्थापन के लिए ''नामित शाखा'' मान लिया जाएगा।

A list of Bank Branches who are authorised to accept ESI contributions is enclosed. You may choose one of the Branches convenient to you, under initimation to this office and to the concerned branch of the State Bank of India and deposit the ESI dues in that branch only. In case no intimation is received within 15 days of the receipt of the letter the amount of contribution in one of the specified branch would be considered as "Nominated Branch" for your factory/establishment.

योजना के अन्तर्गृत उपलब्ध/हितलाभी नियोजक आदि के क्तरदायिकी की विवरणिका/ईश्तुद्धार इसके साथ इस निवेदन के साथ संलग्न है कि योजना के बेहतर कार्यचालन के लिए इसका व्यापिक प्रचार करें। A brochure/leaflet containing benefits available under the scheme and obligation of the employer etc. is enclosed herewith with request to give wide publicity towards smooth functioning of the scheme.

कृपया त्रिलंब से बचने के लिए, सभी पत्राचार में, अपनी कूट संख्या का उल्लेख करें। Please indicate your Code No. on all correspondences to avoid delay.

अनुलानक/Encl: As stated above

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित: Copy for information and necessary action to:

प्रबंधक शाखा कार्यालय..... The Manager, Branch Office

103 क शाखा 2. 103 A Branch

बीमा निरीक्षक 3.

The Insurance Inspector .....

प्रधान नियोजक का नाम Name of the Principal Employer कर्मचारियों की संख्या No. of Employees कारखाना लाइसँस संख्या, यदि कोई हो Factory Licence No. if any

उप निदेशक (वेत्र) The Dy. Director (Finance)

सी-6 शाखा C-6 Branch

भवद्रीय/Yours faithfully

उपनिदेशकी DV. Director